

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.6(31)शिक्षा-3 / 2017-00286

जयपुर, दिनांक : 18.12.2023

—: आदेश :-

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की अशा. टीप क्रमांक पं. 6(51)प्र.सु./अनु. 3/2018 दिनांक 17.12.2023 द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2021, 08.03.2021, 12.10.2021, 15.02.2022, 03.03.2022, 14.03.2022, 03.08.2022 एवं 08.12.2022 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों हेतु गठित विकास समिति के विधान के बिन्दु संख्या-1.4 के अंतर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की विकास समिति में मनोनीत (दो प्रबुद्ध नागरिक) सदस्यों की सदस्यता तुरन्त प्रभाव से एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
5. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित समस्त राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. संबंधित सदस्यगण द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

RajKaj Ref  
5199204



Digitally signed by Brij Mohan Nogia  
Designation: Deputy Secretary  
Date: 2023.12.18 17:11:24 IST  
Reason: Approved



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) Phone : 0141-2706847 (o)

**क्रमांक: एफ 12( 150 ) आयो/आकाशि/2014 पार्ट/01371**

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालय विकास समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रबुद्ध नागरिकों का मनोनयन निरस्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक पं. 6(31)शिक्षा-3/2017-00286 दिनांक 18.12.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्राचार्य एवं अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)  
संयुक्त निदेशक (आयोजना),  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

**Signature valid**

RajKaj Ref  
5223306



Digitally signed by Vimlesh Soni  
Designation: Associate Professor  
Date: 2023.12.22 17:26:55 IST  
Reason: Approved